न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रींगस, जिला सीकर।

पीठासीन अधिकारी- ममता रोहिला आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण सीआईएस सं.- 1741/15

प्राथमिकीकर्ता का नाम	सुल्तान पुत्र शिवभगवान निवासी खूड थाना लोसल जिला सीकर।
अभियुक्त का नाम एवं पता	उमेश पुत्र औंकारमल उम्र 35 साल निवासी ढाणी रेखानियावाली वार्ड नम्बर 7 रींगस जिला सीकर।
अपराध अन्तर्गत धारा	279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट
अभियुक्त का कथन	आरोप अस्वीकार, अन्वीक्षा चाही
प्राथमिकी संस्थित करने की दिनांक	20.11.2015
अभियोजन साक्षी	पी ड 1 सुल्तान, पी ड 2 डालचंद, पी ड 3 पुरूषोत्तम, पी ड 4 मुकेश कुमार, पी ड 5 विनोद कुमार, पी ड 6 डा. मनोज कुमार, पी ड 7 शुभम, पी ड 8 महेन्द्र कुमार, पी ड 9 श्रवण कुमार, पी ड 10 प्रेमसिंह, पी ड 11 दरियासिंह
अभियोजन दस्तावेज	तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1, चाक एफआईआर प्रदर्शपी 2, नक्शा मौका प्रदर्शपी 3, फर्द जप्ती मोटर साईकिल प्रदर्शपी 4, पुलिस बयान पुरषोत्तम प्रदर्शपी 5, पीएमआर रिपोर्ट बनवारीलाल प्रदर्शपी 6, फर्द पंचायतनामा प्रदर्शपी 7, धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 9, फर्द जप्ती स्कार्पियों, वाहन के कागजात व चालक का डीएल प्रदर्शपी 10, मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट प्रदर्शपी 11
अभियुक्त साक्षी	कोई नहीं
निर्णय रिजर्व करने की दिनांक	20.04.2026
निर्णय दिनांक	20.04.2026
अन्तिम निर्णय	20.04.2026
अधिवक्ता राज्य की ओर से	श्री सहायक लोक अभियोजक

अधिवक्ता अभियुक्त	श्री कैलाशचन्द धायल

-- नि र्ण य -- दि नां क-20.04.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.11.2015 को परिवादी सुल्तान ने तहरीरी रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि दिनांक 18.11.2015 को वह व उसका भाई बनवारी मोटर साईकिल से आभावास जा रहे थे। खाटू की तरफ करीब 12 बजे पहुंचे तो सामने से आ रही गाडी स्कार्पियों नम्बर आरजे 14 यूडी 3111 के चालक ने तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर उनकी मोटर साईकिल के गलत दिशा में जाकर टक्कर मारी। वह उछलकर दूर जा गिरा तथा उसके भाई बनवारी के सिर में चोट लगी। उसे अस्पताल ले गये जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया जिसकी दिनांक 19.11.2015 को दौराने ईलाज मृत्यु हो गई। दाह संस्कार के कारण रिपोर्ट आज पेश है, इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना रींगस ने मुकदमा नम्बर 384/15 अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट में आरोप पत्र पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्व उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त को धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने गवाह पी ड 1 से पी ड 11 को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शपी 1 लगायत 11 दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लिये गये, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया, प्रकरण में उसे झूंठा फसाया जाना व स्वयं का निर्दोष होना कथन किया है। साक्ष्य सफाई में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि-

1. आया अभियुक्त ने दिनांक 18.11.2015 को समय दिन के करीब 12 बजे या इसके आसपास मौजा खाटू रोड के पास में आम जन लोकमार्ग पर वाहन नम्बर आरजे 14 यूडी 3111 को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा मोटर

साईकिल के टक्कर मारी, जिससे उस पर सवार बनवारी के शरीर पर आई प्राणधातक चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई तथा अभियुक्त द्वारा दुर्घटना के पश्चात् घायल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाकर मौके से भाग गये, एतदद्वारा अभियुक्त ने धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया?

2. यदि हां तो अभियुक्त को क्या दण्डादेश दिया जाना उचित होगा?

7. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुये तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिये है कि हस्तगत प्रकरण अभियोजन अपने पक्ष में संदेह से परे प्रमाणित करवाने में असफल रहा है। प्रकरण का परिवादी मौके का साक्षी है तथा उसने चालक को देखने से इंकार किया है। प्रकरण में मुख्य व महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयानों में आपस में विरोधाभास है तथा उन्होंने घटना की ताईद अपने न्यायालय बयानों में नहीं की है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। प्रकरण के किसी भी गवाहान द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक अभियुक्त ही रहा हो, कथन नहीं किया गया है, जिससे प्रकरण में सन्देह उत्पन्न होता है। प्रकरण में जो साक्षीगण परीक्षित हुये है वे हितबद्ध साक्षी है जिनकी साक्ष्य पर विश्वास किया जाना न्यायोचित नहीं है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है उसे इस प्रकरण में झूंठा संलिप्त किया गया है। प्रकरण में नक्शे मौके के गवाहान ने नक्शे मौके को साबित नहीं किया है। गवाहान के बयानों में तात्विक विरोधाभास है। अभियुक्त को उसके विरूद्ध आरोपित अपराधों से जोड़ने वाली कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, प्रकरण में सन्देह उत्पन्न होता है। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9. उभय पक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली का पुनः आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अनुशीलन व परिशीलन किया गया।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से हस्तगत प्रकरण में आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य की विवेचना की जाए तो उक्त आरोपों के सम्बन्ध में परिवादी सुल्तान द्वारा रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि दिनांक 18.11.2015 को वह व उसका भाई बनवारी मोटर साईकिल से आभावास जा रहे थे। खाटू की तरफ करीब 12 बजे पहुंचे तो सामने से आ रही गाडी स्कार्पियों नम्बर आरजे 14 यूडी 3111 के चालक ने तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर उनकी मोटर साईकिल के गलत दिशा में जाकर टक्कर मारी। वह उछलकर दूर जा

गिरा तथा उसके भाई बनवारी के सिर में चोट लगी। बनवारी को अस्पताल ले गये जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया जिसकी दिनांक 19.11.2015 को दौराने ईलाज मृत्यु हो गई। **परिवादी द्वारा रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है। अतः उक्त रिपोर्ट परिवादी के द्वारा नामजद दर्ज नहीं करवाई गई है।**

11. उक्त आरोपों के सम्बन्ध में **परिवादी सुल्तान** रिपोर्टकर्ता न्यायालय में **पी ड 1** के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में दुर्घटना होने के तथ्यों की ताईद की है तथा घटना की रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 व चाक एफआईआर प्रदर्शपी 2 होने एवं उक्त फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होने का भी कथन किया है। मृतक बनवारीलाल की मृत्यु होने के संबंध में पत्रावली में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी 6 संलग्न है, जिसका अवलोकन करने से उक्त दुर्घटना में मृतक बनवारीलाल के शरीर पर आई गम्भीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो जाना प्रकट हुआ है। पत्रावली पर मृतक का पंचायतनामा प्रदर्शपी 7 संलग्न है। प्रकरण का चिकित्साधिकारी डा. मनोज कुमार द्वारा मृतक बनवारीलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी 6 स्वयं द्वारा तैयार किया जाना कथन किया है। इस प्रकार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मृतक बनवारीलाल के शरीर पर आई प्राणघातक चोटों के कारण उसकी उक्त एक्सीडेंट में मृत्यु होना प्रमाणित होता है।

12. जहां तक उक्त दुर्घटना वाहन स्कार्पियों नम्बर आरजे 14 यूडी 3111 द्वारा कारित करने व अभियुक्त का प्रश्नगत वाहन का चालक होने एवं उक्त वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में परिवादी की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 में प्रश्नगत वाहन के चालक का नाम अंकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पेश किये गये परिवादी साक्षी पी ड 1 सुल्तान ने अपनी साक्ष्य में वाहन के नम्बर तो बताये है लेकिन चालक का नाम अंकित नहीं किया है एवं स्कार्पियो के चालक द्वारा तेजगति से चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना तथा मृतक का खत्म हो जाना कथन किया गया है। परिवादी साक्षी की साक्ष्य की विवेचना की जावे तो यह साक्षी मौके का साक्षी है। स्वयं द्वारा चालक को नहीं देखना कथन किया गया है। इस गवाह ने अपनी रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये दुर्घटना कारित किया जाना कथन किया है, लेकिन अपने मुख्य परीक्षण में दुर्घटना कारित करने वाले चालक का नाम नहीं बताया गया है। परिवादी ने वाहन चालक का नाम अपनी तहरीरी रिपोर्ट में नहीं बताया है ना ही अपने बयानों में बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से बरवक्त घटना अभियुक्त द्वारा सुसंगत वाहन को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट की घटना कारित की गई हो, इस तथ्य को साबित होना नहीं माना जा सकता है।

13. **पी ड 2 डालचंद** ने बयान दिया कि पुलिस ने मौके पर उसके सामने नक्शा मौका प्रदर्शपी 3 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके भतीजे बनवारीलाल का एक्सीडेंट हो

गया था इस सम्बन्ध में बनाया था। यह साक्षी फर्द नक्शा मौका का गवाह होकर औपचारिक साक्षी है।

14. **पी ड 3 पुरूषोत्तम** पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा इस गवाह ने अभियोजन कहानी का समर्थन न्यायालय बयानों में नहीं किया है।

15. **पी ड 4 मुकेश कुमार** ने बयान दिया कि वर्ष 2015 में दोपहर 12 बजे उसके भाई का साला बनवारी आभावास बाईक से आ रहा था, उनको पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसका जयपुर में ईलाज करवाया था जिससे एक्सीडेंट हुआ उसके नम्बर आरजे 14 यूडी 3311 थे। जयपुर ईलाज के दौरान बनवारी का निधन हो गया। एक्सीडेंट स्कार्पियों की गलती से हुआ था। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी 3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि वह एक्सीडेंट होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पर 20 लोग मौजूद थे। उसने स्कार्पियों गाडी देखी थी जो टक्कर मारकर रूकी नहीं निकल गई थी। विनोद कुमार घटनास्थल पर उसके साथ नहीं गया था बाद में आया था। बनवारीलाल भी मोटर साईकिल पर अकेला ही आया था। उसने स्कार्पियों चालक को नहीं देखा। इस गवाह की साक्ष्य की विवेचना की जावे तो यह साक्षी मौके का साक्षी नहीं है, स्वयं द्वारा दुर्घटना होने के बाद मौके पर पहुंचना कथन किया गया है तथा इस गवाह द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन स्कार्पियों के चालक नहीं देखना कथन किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा एक्सीडेंट की घटना कारित किये जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

16. **पी ड 5 विनोद कुमार** ने बयान दिया कि दिनांक 18.11.2015 को दोपहर 12 बजे उसकी मौसी का लडका बनवारीलाल आभावास आ रहा था। चौमूंपुरोहितान के पास में स्कार्पियों गाडी नम्बर आरजे 14 यूडी 3111 से एक्सीडेंट हो गया था वह गलत दिशा में जा रही थी। घटना में बनवारीलाल के चोटें आई थी। उसे जयपुर रेफर कर दिया। दौराने ईलाज बनवारीलाल की मृत्यु हो गई थी। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि वह एक्सीडेंट होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पर काफी लोग थे। बनवारीलाल अकेला ही था सुल्तान उसके साथ नहीं था। जब वे पहुंचे तो घटनास्थल पर स्कार्पियों नहीं थी। स्कार्पियों का चालक कौन था पता नहीं है। इस गवाह की साक्ष्य की विवेचना की जावे तो यह साक्षी मौके का साक्षी नहीं है, स्वयं द्वारा एक्सीडेंट की घटना कारित होने के बाद मौके पर पहुंचना, स्कार्पियों का मौके पर नहीं होना कथन करता है साथ ही इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर करता है कि स्कार्पियों का चालक कौन था। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा दुर्घटना कारित किये जाने के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है।

17. **पी ड 6 डा. मनोज कुमार** ने बयान दिया कि उसने मृतक बनवारीलाल के शव का पोस्टमार्टम किया जो प्रदर्शपी 6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। यह साक्षी चिकित्साधिकारी

होकर मृतक के शव का परीक्षण करने वाला साक्षी है जिसकी साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराधों से नहीं जोडा जा सकता है।

18. **पी ड 7 शुभम व पी ड 8 महेन्द्र कुमार** ने बयान दिया कि फर्द पंचायतनामा प्रदर्शपी 7 है जिस पर उनके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी फर्द पंचायतनामा के औपचारिक साक्षीगण है।

19. **पी ड 9 श्रवण कुमार** ने बयान दिया कि वह स्कार्पियों नम्बर आरजे 14 यूडी 3111 का रजिस्टर्ड स्वामी है। उसे धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 9 दिया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। सी से डी पुलिस को जवाब उसने नहीं बताया। यह साक्षी **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है जिसने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि वह उमेश को नहीं जानता है। वह घटना के समय उसके साथ नहीं था। उमेश को उसने अपनी गाडी पर कभी चालक नहीं रखा। इस गवाह की साक्ष्य की विवेचना की जावे तो यह साक्षी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है जिसने चालक उमेश को नहीं जानने एवं घटना के समय साथ नहीं होना कथन किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराधों से नहीं जोडा जा सकता है।

20. **पी ड 10 प्रेमसिंह** ने बयान दिया कि मु.नं. 384/15 की तफतीश प्राप्त होने पर गवाहान के बयानात उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। नक्शा मौका प्रदर्शपी 3 मूर्तिब किया। फर्द जप्ती मोटर साईकिल प्रदर्शपी 4, फर्द जप्ती स्कार्पियों, उसके कागजात व डीएल प्रदर्शपी 10 है। एमटीओ रिपोर्ट, मृतक बनवारी की पीएमआर रिपोर्ट व पंचनामा लेकर शामिल पत्रावली किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1, चाक एफआईआर प्रदर्शपी 2, धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 9 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली एसएचओ को पेश की थी जिन्होंने चालान न्यायालय में पेश किया। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि वह घटनास्थल पर दिनांक 21.11.2015 को पहुंचा था। घटनास्थल पर घटना के सम्बन्ध में कोई अलामात नहीं थे। मोटर साईकिल चालक के पास लाईसेंस नहीं था। यह स्वीकार किया कि एक्सीडेंट रोड पर ही हुआ था। यह स्वीकार किया कि किसी भी गवाह से मुलजिम की शिनाख्त नहीं करवाई। यह स्वीकार किया कि तहरीरी रिपोर्ट व बयानों में चालक का नाम अंकित नहीं है। यह स्वीकार किया कि मृतक के रिश्तेदार मुकेश व विनोद मौके पर होते हुये तहरीरी रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है। स्कार्पियों गाडी किसके नाम थी उसकी जानकारी में नहीं है। यह साक्षी अनुसंधनकर्ता होकर औपचारिक साक्षी है जिसकी साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराधों से नहीं जोडा जा सकता है।

21. **पी ड 11 दरियासिंह** ने बयान दिया कि मु.नं. 384/15 जप्तशुदा स्कार्पियों का मैकेनिक मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्शपी 11 तैयार की जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार

यह साक्षी वाहन का मैकेनिक मुआयना करने वाला औपचारिक साक्षी है जिसकी साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराधों से नहीं जोडा जा सकता है।

22. उपरोक्तानुसार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त प्रश्नगत वाहन को अभियुक्त के द्वारा तेजगति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर मृतक बनवारीलाल के उक्त टक्कर के फलस्वरूप आई गम्भीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई हो। हस्तगत प्रकरण में गवाहान दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर करते है। मामलें का परिवादी मौके का साक्षी है लेकिन इस साक्षी ने वाहन चालक को देखने से इंकार किया है। प्रश्नगत वाहन के चालक अभियुक्त द्वारा वाहन को तेजगति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाने के संबंध में अभियोजन की ओर से लेशमात्र साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य से भी प्रश्नगत वाहन के चालक अभियुक्त द्वारा ही वाहन को तेज गति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाने की पुष्टि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जब एक्सीडेंट कारित करने वाले वाहन व चालक की पहचान ही सन्देह से परे प्रमाणित नहीं है तो चालक द्वारा क्या उपेक्षा व लापरवाही बरती गई, इस बिन्दु पर विचार करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत वाहन को तेजगति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किया जाना प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

23. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि सुसंगत दिनांक, समय एवं स्थान पर वाहन स्कार्पियों नम्बर आरजे 14 यूडी 3111 को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा वाहन मोटर साईकिल के टक्कर मारी, जिससे मृतक बनवारीलाल के शरीर पर आई प्राणधातक चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई हो तथा बरवक्त घटना अभियुक्त द्वारा घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाकर मौके से फरार हो गया हो। लिहाजा अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

24. अतः अभियुक्त उमेश पुत्र औंकारमल उम्र 35 साल निवासी ढाणी रेखानियावाली वार्ड नम्बर 7 रींगस जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 134/187 एमवी एक्ट के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा उक्त वाहन सुपुर्दगीदार को सुपुर्दगी पर दिये हुये है जो सुपुर्दगीदार के पास ही रहे। जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपीलावधि नियमानुसार निरस्त समझा जावे।

26. अभियुक्त को धारा 437 ए दं.प्र.सं. के तहत 06 माह की अवधि के 25-25 हजार रूपए की राशि के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए जाते हैं।

(ममता रोहिला)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस जिला सीकर

27. निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(ममता रोहिला)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रींगस जिला सीकर